

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान – सरकार बनाम मुकेश कुमार शर्मा

मुकदमा न. 33/16/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

13.06.2019

पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी मुकेश कुमार शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा मैसर्स- भारती रिटेल लिमिटेड (इजी डे स्टोर सीनिमोल, बायोस्कोप, रानीसती रोड़ सीकर) मय अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह भूरिया उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ- 93 खाद्य पदार्थ वेज आटा नुडल्स मैगी का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण Substandard Food का पाया गया है। प्रकरण में राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट में अमानक (Substandard) पाये जाने के पश्चात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर द्वारा अप्रार्थी को उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर 30 दिन के भीतर पुनः जांच करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत करने की सूचना दिये जाने के बावजूद अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का आवेदन पेश नहीं किया गया। विक्रेता द्वारा वेज आटा नुडल्स मैगी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया, परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुये कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। अप्रार्थी के कारोबार को मध्य नजर रखते हुये खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी मुकेश कुमार शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा मैसर्स- भारती रिटेल लिमिटेड (इजी डे स्टोर सीनिमोल, बायोस्कोप, रानीसती रोड़ सीकर) के 10,000/- रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो